मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2011 (चैत्र 10, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. भारतीय क्रिकेट टीम की विजय पर बधाई

सम्पूर्ण सदन द्वारा कल भारत-पाकिस्तान के मध्य खेले गए विश्वकप क्रिकेट के सेमी-फाईनल मैच में भारतीय टीम की विजय के उपलक्ष्य में खिलाड़ियों को बधाई दी गई। साथ ही, फाईनल मैच में भी भारतीय टीम की विजय के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की गईं। माननीय सदस्यों द्वारा भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण विषयक मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को विधान सभा परिसर में आयोजित दोपहर-भोज हेतु आमंत्रित किया गया। (माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की गई।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर सहित प्रदेश में नकली घी, मावा तथा दूध की बिक्री होने,

(2) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट से खैरलांजी सड़क की जर्जर हालत होने,

(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला के बिछिया जलाशय का गेट खराब होने,

(4) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्य की रतलाम के विबडोद में पानी की पाईप लाईन न जोड़े जाने,

(5) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की भोपाल पुलिस मुख्यालय से जारी पदोन्नति सूची में अनियमितता होने,

(6) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य की पन्ना जिले में पेयजल संकट होने,

(7) श्री रामकिशोर कांवरे, सदस्य की परसवाड़ा के ग्राम खेलगांव में लकड़ी कटाई की मजदूरी का भुगतान न होने,

(8) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा के जवा एवं सिरमौर में पालापीड़ितों के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने,

(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना में संविदा शिक्षकों को नियुक्ति न दी जाने तथा

(10) श्री रोडमल राठौर, सदस्य की उज्जैन जिले की तराना तहसील में मुआवजा वितरण में अनियमितता होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा, वर्ष 2007-08 पटल पर रखा।

5. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2011 को सम्पन्न हुई; जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011)	2 घन्टे
(2)	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011)	30 मि.
(3)	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011)	30 मि.
(4)	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011)	30 मि.
(5)	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011)	30 मि.

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि विधान सभा के वर्तमान सत्र की बैठकें दिनांक 1 अप्रैल, 2011 तक ही रखी जाएं।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामलखन सिंह एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण श्री राधेलाल बघेल, सदस्य की स्वेच्छानुदान / जनसम्पर्क निधि के आवंटन में अनियमितता का उल्लेख करते हुए, नारेबाजी करते हुए, सदन के गर्भगृह में बैठ गए। इस सम्बन्ध में, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शासन को आवश्यक निर्देश देने हेतु आसंदी से अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि श्री रामलखन सिंह, सदस्य द्वारा आज प्रातः अध्यक्षीय कक्ष में आग्रह करने पर उन्होंने विधि मंत्री को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व में ही दे दिये हैं। इसके बाद भी, उनके द्वारा सदन में असंसदीय आचरण करना अनुचित है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाए। आसंदी के निर्देशानुसार, गर्भगृह में आए सदस्यगण पुनः अपने आसनों पर गए तथा व्यवस्था का पालन करने हेतु आश्वस्त किया गया।

7. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री अजय सिंह, सदस्यगण ने सिवनी जिले की संजय सरोवर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण क्रमांक (1) में श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री द्वारा शासन के वक्तव्य में उपाध्यक्ष महोदय का उल्लेख करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनुचित मानकर यह व्यवस्था दी गई कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका का सर्वोच्च स्थान है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद संवैधानिक होने के कारण यह अनुरोध है कि जनहित में उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लेख शासकीय वक्तव्यों में नहीं किया जाए। शासन की ओर से, जल संसाधन मंत्री द्वारा आसंदी की व्यवस्था का पालन करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

9. ध्यान आकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने सागर जिले के राहतगढ़ में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री आरिफ अकील एवं डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने मध्यप्रदेश आवास संघ द्वारा कल्पना नगर में गैर आवासीय भूमि का विक्रय किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री तथा श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य ने पन्ना जिले के ग्राम रक्सेहा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय न खोले जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, श्री मनोहर ऊटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति व अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा अपनी एवं परिवार की सम्पत्ति के विवरण पटल पर रखे गए।

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सभापति ने प्राक्कलन समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री अन्तर सिंह आर्य, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति द्वारा सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-2)	श्री खटीक रमेश प्रसाद	45 मिनिट
2.	(क्रमांक-16)	श्री के.पी. सिंह	45 मिनिट
3.	(क्रमांक-33, 67)	चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. कल्पना परूलेकर	45 मिनिट
4.	(क्रमांक-44)	श्री प्रताप ग्रेवाल	15 मिनिट

श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(अपराह्न 12.55 से 2.43 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री मोती कश्यप
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री लखन घनघोरिया
(6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ। खण्ड 3 में संशोधन :

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि अध्याय दो में खण्ड 3 के उप खण्ड (4) में विद्यमान शब्दावली "विश्वविद्यालय का मुख्यालय, जबलपुर" के स्थान पर शब्दावली "विश्वविद्यालय का मुख्यालय, ग्वालियर" प्रतिस्थापित की जाएं।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 66 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) पारित किया जाय।

(विपक्ष के कुछ सदस्यगण द्वारा मत विभाजन की मांग की गई)

ध्वनि मत से विधेयक पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

14. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा अपनी एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

15. स्वागत उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शिवराज भैया लोधी, सांसद् की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया।

16. अध्यक्षीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) तथा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सदन में पुरःस्थापित उक्त विधेयकों को आज ही विचारार्थ लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(2) श्री मदन कुशवाह

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

18. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह एवं परिवहन द्वारा अपनी एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

(2) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2011 (चैत्र 11, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 31 मार्च, 2011